


राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक : लेखा-12(विविध-प्रोग्राम)/आं.जां.का./2017/ 4442-47 दिनांक: 05-12-17

-:आन्तरिक अंकेक्षण संशोधित कार्यक्रम आदेश:-

इस कार्यालय के पत्रांक 3225 दिनांक 20.09.2017 द्वारा जारी अंकेक्षण कार्यक्रम में प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार संशोधित कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है:-


क्र. सं.	अंकेक्षण दल प्रभारी/ सदस्य व जोन का नाम	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना था।	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है।	अंकेक्षण लेखाअवधि	अंकेक्षण हेतु निर्धारित तिथियां
1.	श्री केशव देव मीणा, AAO। आं.जां. द0 द्वि जो0-कोटा मो0 नं0 8619796329	जिला क्षय रोग अधिकारी, बारां	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बारां	04/14 से 03/17	07.12.17 से 29.12.17
2.	श्री च्यवन सिंह जोरवाल, AAO। जोन-भरतपुर मो0 नं0 9829659634	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भगवतगढ़, सवाई माधोपुर	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कांमा, भरतपुर	04/12 से 03/17	14.12.17 से 29.12.17

उक्त दोनों जांच दल प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि संशोधित आदेशानुसार अंकेक्षण कार्य सम्पादित कर जांच रिपोर्ट निर्धारित समय में भिजवाये:-


वित्तीय सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक: 05-12-17

क्रमांक : लेखा-12(विविध-प्रोग्राम)/आं.जां.का./2017/ 4442-47
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, निदेशक, (जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर
2. निजी सहायक, निदेशक (वित्त), एन.आर.एच.एम., जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन-कोटा व भरतपुर।
4. जिला क्षय रोग अधिकारी, बारां, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भगवतगढ़, सवाई माधोपुर, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बारां, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कांमा, भरतपुर।
5. श्री केशव देव मीणा, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम व श्री च्यवन सिंह जोरवाल, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम आं0जा0द0 को पालनार्थ प्रस्तुत है।
6. प्रभारी सर्वर रूम को दी जाकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।


लेखाधिकारी,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर